कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।

पत्रांक 390 / सी0पी0ए0 / कोष0 दिनांक 21-7-20[illegible]

पेंशनर्स सम्बन्धित सूचना

जनपद कोषागार रामपुर से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरो को सूचित किया जाता है कि वर्ष में एक बार दिये जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार द्वारा डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिये सम्बन्धित पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र www.jeevqnpramaan.gov.in की बेबसाइट के माध्यम से एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुये डिजीटल लाईफ सर्टिफिकेट जनरेट कर प्रकिया पूर्ण की जा सकती है। इसके लिये पेंशनर को न तो बैंक जाने की आवश्यकता है और न ही कोषागार, क्योकि इसमें डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट होकर कोषागार की बेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है। कृपया कोविड–19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सुविधा का प्रयोग करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ कोषाधिकारी,
रामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:–

1 निदेशक, कोषागार उ0प्र0 1018 जवाहर भवन, लखनऊ।
2 अपर निदेशक कोषागार एंव पेंशन मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
3 जिलाधिकारी महोदय रामपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4 सहायक सूचना निदेशक को इस आशय से कि कृपया उक्त सूचना को जनपद रामपुर के समस्त ख्याति प्राप्त अखबारों में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5 अध्यक्ष / महामंत्री / मंत्री समस्त पेंशनर्स एसोसियेशन जनपद रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना को पेंशनरो के बीच अपने स्तर से भी अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
6- NIC रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना [illegible] भी प्रचार करने का कष्ट करें

वरिष्ठ कोषाधिकारी,
रामपुर।